मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 01/चयन/2009/19.01.2009 **आयोग कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि- 20.02.2009**

एक- भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **उच्च शिक्षा विभाग** के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों के **प्राध्यापकों** के स्थायी पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

पद कोड	पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिये आरक्षित पद				विकलांग आरक्षण	विकलांगता का प्रकार
			अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.	अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01.	भौतिक शास्त्र	15	08	02	03	02	02	01	01	01	-	दृष्टिबाधित तथा हाथों से विकलांग के लिए नहीं। क्योंकि प्रायोगिक कार्य करवाये जाते हैं।
02.	रसायन शास्त्र	32	17	05	06	04	05	02	02	01	01 अना.	
03.	प्राणी शास्त्र	25	12	04	05	04	04	01	02	01	01 अना.	
04.	वनस्पति शास्त्र	23	11	04	05	03	03	01	02	01	01 अना.	
05.	गृह विज्ञान	07	04	01	01	01	01	-	-	-	-	
06.	भूगर्भ शास्त्र	04	01	01	01	01	-	-	-	-	-	
07.	सैन्य विज्ञान	02	02	-	-	-	01	-	-	-	-	
08.	चित्रकला	02	02	-	-	-	01	-	-	-	-	
09.	भूगोल	18	08	03	04	03	02	01	01	01	-	
10.	संस्कृत	08	04	01	02	01	01	-	01	-	-	सभी श्रेणी के विकलांग
11.	समाज शास्त्र	24	12	04	05	03	04	01	02	01	01 अना.	
12.	इतिहास	21	10	04	04	03	03	01	01	01	01 अना.	
13.	गणित	20	10	03	04	03	03	01	01	01	01 अना.	
14.	राजनीति शास्त्र	39	19	06	08	06	06	02	02	02	01 अना.	
15.	अर्थशास्त्र	43	21	07	09	06	06	02	03	02	01 अना.	
16.	दर्शन शास्त्र	06	03	01	01	01	01	-	-	-	-	
17.	मनोविज्ञान	06	03	01	01	01	01	-	-	-	-	
18.	हिन्दी	31	16	05	06	04	05	02	02	01	01 अना.	
19.	अंग्रेजी	15	08	02	03	02	02	01	01	01	-	
20.	वाणिज्य	37	19	06	07	05	06	02	02	02	01 अना.	
21.	विधि	03	02	-	01	-	01	-	-	-	-	
22.	उर्दू	03	02	-	01	-	01	-	-	-	-	
23.	सांख्यिकी	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग -	**385**										

टीप- (i) केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक ही आरक्षित पद के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

(ii) किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त अभ्यार्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(iii) विकलांग श्रेणी के ऐसे आवेदक ही चयन के लिए पात्र होंगे जो अपने नियुक्ति वाले पद पर कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त एवं सक्षम है एवं पद पर कार्य करने योग्य है।

(iv) एक से अधिक पदों हेतु आवेदन के लिये अलग-अलग आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क अलग-अलग जमा करें।

दो- शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकेगा। उपर्युक्त सभी पद स्थायी हैं।

तीन- चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

चार- **पद का विवरण**

(अ) पद का नाम- प्राध्यापक

(ब) विभाग का नाम- उच्च शिक्षा विभाग

(स) श्रेणी- राजपत्रित प्रथम श्रेणी

(द) वेतनमान- रु. 12000-420-18300/- तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(इ) अर्हता- 1. यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पद विहित शैक्षणिक अर्हताएं संबंधित विषय में पीएच.डी. अनिवार्य अर्हता। 2. स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

यू.जी.सी. मार्गदर्शन मार्च, 2003 :-

प्रख्यात विद्वान जिनका उच्च गुणवत्ता का प्रकाशित कार्य हो, जो अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप से लगा हो, साथ में स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का 10 वर्ष का अनुभव और या विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अनुसंधान कार्यों का गाईड के रूप में अनुभव सम्मिलित हो

या

एक उत्कृष्ट विद्वान जिसकी ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने का स्थापित प्रतिष्ठा हो।

UGC Guidelines March 2003 :-

An eminent scholar with published work of high quality, activity engaged in research, with 10 years of experience in postgraduate teaching, and for experience in research at the University/National Level institutions, including experience of guiding research at doctoral level.

OR

An outstanding scholar with established reputation who has made significant contribution to knowledge.

टीप- 1. आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए आवेदन करने की तिथि के बाद किसी दिनांक को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

2. पद हेतु यू.जी.सी. मार्गदर्शन, मार्च 2003 में दर्शित अर्हता के स्वरूप को प्रदेश के महाविद्यालयों में प्रचलित अध्यापन प्रणाली तथा भर्ती नियमों के अनुरूप स्नातक/स्नातकोत्तर रखा गया है।

3. यू.जी.सी. मापदंड के अनुसार आउटस्टेंडिंग ग्रेड में ग्रेडिएंट पाइंट 5.50-6.00 एवं प्रतिशत 75 से 100 निर्धारित है।

पांच- केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक ही आरक्षित पद के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

छः- उम्मीदवार नियुक्ति के लिये तभी पात्र होगा, जब वह शासन द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 में दिनांक 10.3.2000 को किये गये संशोधन के अनुसार- (अ) पुरुष उम्मीदवार 21 वर्ष की आयु तथा महिला उम्मीदवार 18 वर्ष के पूर्व विवाहित नहीं हो। (ब) 26 जनवरी 2001 के बाद जन्म ली हुई उम्मीदवार की तीसरी संतान न हो।

सात- **आयु सीमा-** न्यूनतम **21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 45 वर्ष पूर्ण न की हो। आयु संगणना तिथि 01.01.2010** होगी। आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-एक** देखें।

आठ- अधिवार्षिकी आयु- 62 वर्ष

नौ- **महत्वपूर्ण** - यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

दस- प्रत्येक उम्मीदवार का केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। किसी उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके सभी आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर प्रेषक के स्थान पर आवेदक का पूरा नाम तथा पता लिखना अनिवार्य होगा। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन क्रमांक तथा आवेदित पद का नाम अवश्य अंकित करें।

ग्यारह- यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो पता परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन पत्र आयोग को तत्काल प्रस्तुत करें तथा साथ में 11.5x27.5 से.मी. आकार के परिवर्तित पता लिखे तथा पर्याप्त डाक टिकिट लगे दो लिफाफे भी साथ में भेजें। यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किन्तु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता है।

बारह- **चयन प्रक्रिया-** उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता न्यूनतम है और इस अर्हता के होने मात्र से ही कोई आवेदक साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने का हकदार नहीं हो जाता। यदि विज्ञापित पदों की संख्या के अनुपात में आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक हो और आयोग के लिए इन सभी आवेदकों का साक्षात्कार करना व्यवहारिक नहीं हो तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं की अपेक्षा उच्चतम अर्हताओं के आधार पर अथवा लिखित परीक्षा द्वारा अथवा आयोग द्वारा निर्धारित अन्य प्रक्रिया द्वारा आवेदकों की संख्या को यथोचित सीमा तक कम कर सकेगा। यदि आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा कराई जायेगी तो उससे संबंधित समस्त जानकारी पृथक से **रोज़गार और निर्माण** समाचार पत्र में यथा समय सूचित की जायेगी।

चौदह- आवेदक हेतु विस्तृत जानकारी के लिए-

(i) आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट-एक

(ii) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देशों एवं जानकारियों हेतु परिशिष्ट-दो

प्र. सचिव

परिशिष्ट-1

एक - उच्चतम आयु सीमा में छूटें-

1. **भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।**
2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट विधवा परित्यक्ता महिलाओं को तथा अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की आवेदिकाओं को उन्हें देय 05 वर्ष की छूट अतिरिक्त होगी।
3. विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त विशेष छूट देय होगी। यह छूट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की आवेदिकाओं को देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त देय होगी।

   टीप- ऐसी महिला आवेदन के लिये पात्र नहीं होगी, जिसकी सब छूटें जोड़ कर अधिवार्षिकी आयु हो जाये। पद की अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष निर्धारित है।

छूटों की संगणना स्थिति :-

1. पुरुष आवेदक (सामान्य वर्ग)	45 वर्ष
2. पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनु. जाति/अनु. जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	50 वर्ष
3. महिला आवेदक (सामान्य वर्ग)	45 + 10 = 55 वर्ष
4. महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनु. जाति/ अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 + 05 + 10 = 60 वर्ष
5. विधवा परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (सामान्य वर्ग/आरक्षित वर्ग)	45 + 10 + 05 = 60 वर्ष

दो - प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें-

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-40/आ./84/(3)1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.6.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।

टीप- **(1) परिशिष्ट- एक (एक)** में दर्शायी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा बिन्दु क्रमांक (एक) के अंतर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।

(2) परिशिष्ट- एक (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट परिशिष्ट एक (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट- उपरोक्त एक (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

परिशिष्ट-2

आवेदन-पत्र भरने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

आवेदन-पत्र

आवेदन पत्र भरने के संबंध में मुख्य निर्देश निम्नानुसार हैं :-

1. यह आवेदन पत्र केवल काली स्याही वाले बाल पेन से ही भरें।
2. कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें। अधूरा भरा फार्म आयोग द्वारा अमान्य कर दिया जायेगा। प्रविष्टियां सफाई से भरें, काट-पीट न करें।
3. आवेदन पत्र पर फोटो निर्धारित साइज की चिपकायें। स्टेपल या पिन न करें। फोटो के पीछे आवेदक अपना नाम तथा आवेदन-पत्र क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित करें। फोटो पासपोर्ट आकार का सामने से खींचा हुआ जिसमें दोनों कान दिखाई देते हों, होना चाहिए। फोटोग्राफ की फोटोस्टेट प्रति स्वीकार्य नहीं होगी।
4. घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में करें। हस्ताक्षर के अभाव में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
5. समस्त जानकारी सही व स्पष्ट शब्दों में दें। जानकारी गलत पाये जाने पर आयोग द्वारा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
6. संख्या लिखने में अंतर्राष्ट्रीय अंकों यथा **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 का ही प्रयोग करें।** (कलात्मक अंकों का प्रयोग न करें)।
7. प्रमाण पत्रों की कुल संख्या निर्धारित स्थान पर अवश्य लिखें।
8. आवेदन पत्र के लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक एवं आवेदित पद का नाम बड़े अक्षरों में लिखें तथा उसे रेखांकित करें। लिफाफे पर इस विवरण के बगैर प्राप्त आवेदन पत्रों पर आयोग द्वारा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।
9. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि, सभी अभिलेखों अर्थात उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गये समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए यदि विभिन्न अभिलेखों पर उनके द्वारा लिए गये हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
10. **पहचान चिन्ह-** उत्तर पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अपना नाम लिखेंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाना माना जाएगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के आवेदक की उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। (लिखित परीक्षा आयोजित करने की स्थिति में)
11. आवेदक आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक तथा पूर्ण पता लिखें।

अन्य निर्देश :-

1. एक लिफाफे में एक ही आवेदन-पत्र रखें।
2. आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदक अपना पूरा नाम तथा पता जैसा उसके आवेदन पत्र में लिखा है सुस्पष्ट लिखें।
3. स्वयं का पता लिखा छः रुपये का टिकिट लगा एक पोस्टकार्ड लिफाफे में आवेदन पत्र के साथ अवश्य रख दें। इसके अभाव में आवेदन-पत्र प्राप्ति की सूचना आयोग द्वारा प्रेषित किया जाना संभव नहीं होगा।
4. मूल आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें।

आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों/अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ अवश्य भेजी जानी चाहिये। उनके अभाव में आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर अस्वीकार कर दिया जायेगा और उसके संबंध में आयोग द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जायेगा। प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के पृष्ठ क्रमांक-चार के साथ ही स्टेपल करें।

आयु संबंधी प्रमाण के लिये- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमिस्टर्स की अंकसूचियां।

जाति के प्रमाण-पत्र -

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिये अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, आवेदन के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण-पत्र (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय जाति का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति का स्थायी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा इस संबंध में आवेदक का कोई वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। **विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम का लगा जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित आवेदिकाएं जाति प्रमाणन हेतु पिता के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ ही विवाह के पश्चात क्रीमीलेयर में न आने के प्रमाणस्वरूप अपने पति के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। (प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें)**

विकलांगता प्रमाण-पत्र- विकलांग श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ तत्संबंधी नवीनतम (Latest) चिकित्सा प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से प्राप्त कर संलग्न करना आवश्यक है आवेदन के लिफाफे पर विकलांग भी लिखें। (विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक होने पर ही विकलांग श्रेणी के आवेदकों को देय छूटों का लाभ प्राप्त होगा)

परिशिष्ट - एक की कंडिका (एक) (3) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट - एक की कंडिका- (दो)(1) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट - एक की कंडिका- (दो)(2) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट - एक की कंडिका-(दो)(3) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करें-

1. आवेदन शुल्क- मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो **मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग की श्रेणी** में आते हैं, के लिये आवेदन शुल्क रुपये 30/- देय होंगे। **अनारक्षित श्रेणी** हेतु आवेदन शुल्क रुपये 60 देय है। पद के लिये यदि लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है तब आवेदक को आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा।

बैंक ड्राफ्ट- उपरोक्त शुल्क आयोग द्वारा केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट, **सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर** के नाम से बनाकर भेजा जाये यह बैंक ड्राफ्ट यथासंभव भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा (जी.पी.ओ.) इन्दौर पर देय होना चाहिए। आवेदक बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना पूरा नाम, पता तथा आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें।

अत्यंत आवश्यक- बैंक ड्राफ्ट भेजने के पहले उसका भली-भाँति परीक्षण कर कृपया संतुष्टि कर लें कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी नहीं है। त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण बैंक ड्राफ्ट पाये जाने की दशा में आवेदन-पत्र निरस्त माना जावेगा। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त तथा निरस्त किये गये आवेदन पत्रों के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट नहीं लौटाये जायेंगे इसलिए आवेदकों के लिए सुझाव है कि अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा करने के बजाये उसके काफी पहले आवेदन पत्र भेजना उनके हित में होगा।

टीपः- आयोग को प्राप्त आवेदन शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदकों को वापस किया जा सकेगा-

I. यदि आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये, अथवा

II. यदि किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि-

आयोग कार्यालय में आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20.02.2009 है। अंतिम तिथि को सायंकाल 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में आवेदन-पत्र पहुँचाने का उत्तरदायित्व आवेदक का है। आयोग कार्यालय के काउंटर पर भी कार्यालयीन समय (प्रातः 10.30 से सायं 5.30 बजे तक) में प्रत्येक कार्य दिवस को अंतिम तिथि तक आवेदन-पत्र जमा किये जा सकते हैं, जिसकी रसीद उसी समय दी जायेगी। डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र अंतिम तिथि को सायं 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त होने पर ही अंतिम तिथि तक प्राप्त हुये माने जायेंगे। डाक/कोरियर में विलम्ब/गुम होने/कटने-फटने अथवा नष्ट होने के लिये आयोग उत्तरदायी नहीं रहेगा। आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जायेंगे।

आवेदन-पत्र भेजने का पता-

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी क्षेत्र,
इंदौर - 452001

नियोक्ता की अनापत्ति

सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी उपक्रम में हों या किसी प्रकार से अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन पत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिये। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के माध्यम से भेजा हो और वह आयोग में देर से पहुँचा हो तो उस आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा भले ही वह नियोक्ता को अंतिम तिथि से पहले प्रस्तुत किया गया हो।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो

लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हों उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने से संबद्ध अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

अनुशासनिक निर्देश-

ऐसे आवेदक को आपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा, जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिये दोषी पाया हो-

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये परीक्षा/साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या
2. पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
3. किसी व्यक्ति से पररूप धारण (इम्परसोनेशन) कराया हो/किया हो, या
4. फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
5. चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
6. साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो, या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, या
7. साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो।

उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले आवेदकों को अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

(क) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिये वह उम्मीदवार है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या

(ख) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये निम्नलिखित से विवर्जित किया जायेगा-

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(ii) राज्य शासन के अधीन नियोजन से।

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी। परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जायेगी जब तक कि -

(i) उम्मीदवार को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया हो।

अनर्हताएं- ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

महत्वपूर्ण -

(i) अंतिम चयन साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट क्रमानुसार किया जायेगा।

(ii) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।

यात्रा व्यय का भुगतान-

(अ) साक्षात्कार के लिये आमंत्रित मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग श्रेणी के आवेदक, जो किसी सेवा में न हों, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने पर मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान (मध्यप्रदेश की सीमा तक), वापसी यात्रा के पूर्व आयोग द्वारा किया जावेगा। आवेदकों को इसके लिये वांछित घोषणा-पत्र भर कर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के स्वयं के अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें तभी उन्हें यात्रा व्यय दिया जाएगा।

सचिव